



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042026-271999  
CG-DL-E-23042026-271999

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1948]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2026/वैशाख 2, 1948

No. 1948]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2026/VAISAKHA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

का.आ. 2021(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से NH-63 के कि.मी. 0.6 से कि.मी. 20.47 तक महाराष्ट्र राज्य के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

## अनुसूची

## महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH63 पर भूमि का अधिग्रहण ।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उपविभागीय अधिकारी, सोलापुर क्र.1	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH63 के कि.मी 0.6 से कि.मी 20.47 तक	महाराष्ट्र	सोलापूर	बारशी	1 कुसलंब 2 पुरी 3 पांगरी 4 चिंचोली 5 धोत्रे

[फा. सं. RW/NH-12014/127/2024-MAH/Zone-IV]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2026

**S.O. 2021(E).**— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 0.6 to Km. 20.47 of NH-63 in the State of MAHARASHTRA.

**SCHEDULE**

**Land acquisition on National Highway No. NH63 in the State of MAHARASHTRA.**

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	SubDivisionalOfficer,SolapurNo.1	NH63 KM 0.6 TO KM 20.47	MAHARASHTRA	SOLAPUR	Barshi	1 Kuslamb 2 Puri 3 Pangri 4 Chincholi 5 Dhotre

[F. No. RW/NH-12014/127/2024-MAH/Zone-IV]

SHAIKH AMINKHAN, Director